



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

No. 558]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2015

का.आ. 746(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1425(अ), तारीख 26 जून, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ परामर्श से राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण महाराष्ट्र कहा गया है) की सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और कोंकण प्रभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में एसईएसी-2, महाराष्ट्र कहा गया है) में ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची के प्रवर्ग 8 में आने वाली परियोजनाओं के अंकन के लिए दूसरी राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | श्री जानी जोसेफ, सेवानिवृत्त आईएस। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का कार्यालय, नया प्रशासनिक भवन, पहला तल, मैडम कामा सड़क, मुंबई। | अध्यक्ष |
| 2. | डा. राकेश कुमार निदेशक, मुंबई जोनल लैब, नीरी 89/बी, डा.एनीबिसेंट रोड, वरली, मुंबई-400018 | सदस्य |

| | | |
|----|--|-------|
| 3. | श्री भारत भूषण सचिव और डीन, पर्यावरण और विकास केन्द्र, यशादा, यशवंतराव चव्हाण अकादमी आफ डेवलेपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र सरकार, बनेर रोड, पुणे । | सदस्य |
| 4. | डा.एस.एल. ढोंगरा इंस्टीट्यूट चेर प्रोफेसर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवाई, मुंबई - 400076 । | सदस्य |
| 5. | डा. वी. ज्योतिप्रकाश, सह-आचार्य, जल संसाधन प्रभाग, सिविल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बांबे, पोवाई, मुंबई-400076 । | सदस्य |
| 6. | श्री हितेन जगदीशचंद्र सेठी, एच ए एस, भूतल, ययाती सी एच एस, प्लाट सं. 9, सेक्टर-58ए, एन आर आई कॉम्प्लेक्स के पास, नीरूल (वे), नवी मुंबई-400706 । | सदस्य |
| 7. | श्री उपेन्द्र दत्तात्रेय कुलकर्णी, सह-आचार्य, सिविल और जल प्रबंध इंजीनियरी विभाग, सी जी जी एस, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, विष्णुपुरी, नांदेड, महाराष्ट्र-431606 । | सदस्य |
| 8. | डा. एकनाथ विष्णुपंत मुले, सी/ओ कनेक्ट एंटरप्राइजेज, टी-7, एस टी पी आई, एम आई डी सी, चिकलथाना, औरंगाबाद-431006, महाराष्ट्र । | सदस्य |
| 9. | निदेशक, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार । | सचिव |

5. महाराष्ट्र प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय लेने से पूर्व एस ई ए सी-2 की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा ।
6. एस ई ए सी - 2 महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य महाराष्ट्र प्राधिकरण के अवसान तक अर्थात् अक्तूबर, 2016 की अवधि तक पद धारण करेंगे ।
7. एस ई ए सी - 2 महाराष्ट्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में यथाउपदर्शित है ।
8. एस ई ए सी - 2 महाराष्ट्र, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।
9. महाराष्ट्र राज्य सरकार, एस ई ए सी - 2 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. एस ई ए सी - 2 महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता महाराष्ट्र राज्य सरकार के नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे।

[सं. जे-11013/41/2007-आई.ए. II(1)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2015

S.O. 746(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S. O. 1425(E) dated 26th June, 2012, except as aspects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government, to assist the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as the Authority, Maharashtra) in consultation with the State Government of Maharashtra, hereby reconstitutes the Second State Expert Appraisal Committee for appraisal of the projects falling in category 8 of the schedule of EIA Notification, 2006 in the Mumbai Metropolitan Region (MMR) & Konkan Division in the State of Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as SEAC-2, Maharashtra) comprising of the following Members, namely :—

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | Shri Johny Joseph, IAS Retd. Office of the Lokayukta and Upa-Lokayukta, New Administrative Building, 1st Floor, Madame Cama Road, Mumbai. | Chairman |
| 2. | Dr. Rakesh Kumar Director, Mumbai Zonal Lab, NEERI 89/B, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018. | Member |
| 3. | Mr. Bharat Bhushan Secretary and Dean, Centre for Environment and development, YASHADA, Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration, Government of Maharashtra, Baner Road, Pune. | Member |
| 4. | Dr. S. L. Dhingra Institute Chair Professor Transportation System Engineering, Civil Engineering Department, Indian Institute of Technology, Powai, Mumbai-400076. | Member |
| 5. | Dr. V. Jothiprakash, Associate Professor, Water Resource Division, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Bombay, Powai, Mumbai - 400076 | Member |
| 6. | Shri Hiten Jagdishchandra Sethi HAS, Ground Floor, Yayati CHS, Plot No. 9, Sector-58 A, Near NRI Complex, Nerul (W), Navi Mumbai-400706 | Member |
| 7. | Shri Upendra Dattatraya Kulkarni Associate Professor, Department of Civil and Water Management Engineering, SGGS Institute of Engineering and Technology, Wishnupuri, Nanded, Maharashtra-431606. | Member |
| 8. | Dr. Eknath Vishnupant Muley C/o Connect Enterprises, T-7, STPI, MIDC, Chikalthana, Aurangabad-431006, Maharashtra. | Member |

| | | |
|----|---|-----------|
| 9. | Director, Environment Department, Government of Maharashtra | Secretary |
|----|---|-----------|

5. The recommendations of the SEAC-2, Maharashtra shall be taken for decision before Authority, Maharashtra.
6. The Chairman and Members of the SEAC-2, Maharashtra shall hold office for a term till the expiry of the term of the Authority, Maharashtra i.e. upto 27th October, 2016.
7. The SEAC-2, Maharashtra shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.
8. The SEAC-2, Maharashtra shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.
9. The State Government of Maharashtra shall notify an agency to act as Secretariat for the SEAC-2, Maharashtra and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.
10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of SEAC-2, Maharashtra shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Maharashtra.

[No. J-11013/41/2007-IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.